

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : *333

उत्तर देने की तारीख: 18.12.2024

जैन धर्म और बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने हेतु पहल

*333. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी और श्री हरेन्द्र सिंह मलिक:

क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश भर में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए पहल की है; और
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में, विशेषतः राजस्थान में, क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरन रिजिजू)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'जैन धर्म और बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने हेतु पहल' के संबंध में श्री चंद्र प्रकाश जोशी और श्री हरेन्द्र सिंह मलिक द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *333 जिसका उत्तर दिनांक 18.12.2024 को दिया जाना है, के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न पहल की जा रही हैं, जो निम्नानुसार हैं:

I. जैन धर्म को बढ़ावा देने के लिए पहल:-

- केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में जैन धर्म को अल्पसंख्यक धर्म का दर्जा प्रदान कर उन्हें अन्य अल्पसंख्यकों के बराबर दर्जा दिया।
- दिनांक 21.04.2024 को 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने पीएमजेवीके योजना के तहत जैन विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए इंदौर परिसर के देवी अहिल्या विश्व विद्यालय (DAVV) में जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना के लिए परियोजना को मंजूरी दी है, जिससे इस क्षेत्र में अंतर्विषयक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 25 करोड़ रुपये है, जिसका उद्देश्य जैन संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए है, जिसमें अन्य गतिविधियों के अलावा जैन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण, जैन परंपराओं और रीति-रिवाजों के बारे में व्यापक ज्ञान साझा करना, जैन साहित्य पर अंतर्विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देना, पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के माध्यम से भाषा को संरक्षित करना और हब के माध्यम से सामुदायिक आउटरीच शामिल हैं।
- जैन आगम जैनियों के लिए पवित्र पुस्तकें हैं। वे मूल रूप से प्राकृत भाषा में हैं जिसे तीर्थंकरों की भाषा माना जाता है। केंद्र सरकार ने 04.10.2024 को प्राकृत भाषा को भारत की एक शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी है।
- राजस्थान सरकार ने धार्मिक स्थलों के विकास के लिए और हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों के धार्मिक स्थलों सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए। यह पहल सर्व धर्म समभाव (सभी धर्मों के लिए समान सम्मान) के सिद्धांत के प्रति राजस्थान सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वर्ष 2023 में, जैन समुदाय की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करते हुए राजस्थान में 'जैन श्रमण संस्कृति बोर्ड' का गठन किया गया, जिसकी जैन समुदाय द्वारा व्यापक रूप से सराहना की गई। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जैन मुनियों (तपस्वियों) की शिक्षणों, शाही संरक्षण और प्रयासों ने राजस्थान में जैन धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजस्थान के रणकपुर में स्थित जिनालय इस क्षेत्र में जैन धर्म के विकास के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है।

II. बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए पहल:

- मार्च, 2024 के महीने में, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तत्वावधान

में बौद्ध विकास योजना के तहत कुल 225.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 38 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस परियोजना का उद्देश्य बौद्ध धर्म को बढ़ावा देना और पारंपरिक धार्मिक शिक्षा का धर्मनिरपेक्षीकरण करना है। कुल अनुमानित राशि में से, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान (CIBS), लेह, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को स्कूल भवनों, पारंपरिक पाठ्यक्रमों के लिए एक नए शैक्षणिक भवन और स्मारिका दुकानों के निर्माण के लिए 85.00 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। लेह और कारगिल के लिए प्रशिक्षण-सह-परीक्षा केंद्रों के निर्माण के लिए 14.50 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन में उन्नत अध्ययन केंद्र को मजबूत करने के लिए 30.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि बौद्ध आबादी के बीच शैक्षिक सहयोग, अनुसंधान, भाषा संरक्षण और कौशल उन्नयन को बढ़ावा दिया जा सके। केंद्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान (CIHCS) के लिए 40.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

- इसके अलावा, सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के बौद्ध सर्किट के तहत 361.97 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। इन सर्किटों के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- भारत सरकार ने 04.10.2024 को "पाली" को शास्त्रीय भाषा घोषित किया है, जिससे बौद्ध समुदाय और भारत की सांस्कृतिक विरासत को कई लाभ होंगे। थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा पाली, बुद्ध के उपदेशों की भाषा है। इस घोषणा से शैक्षणिक संस्थानों में पाली के अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा, बौद्ध परंपराओं की बेहतर समझ और संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
- राजस्थान सरकार ने बौद्ध धर्म सहित धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय राजस्थान में विराटनगर स्तूप, बैराट जैसे बौद्ध विरासत स्थलों के विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत धन मुहैया कराता है। राजस्थान सरकार ने बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति पर शोध परियोजना के लिए प्रति वर्ष 2.00 लाख रुपये आवंटित किए हैं। सरकार बौद्ध भिक्षुओं और संन्यासिनी छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 5.00 लाख रुपये प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन चार स्वायत्त संगठन काम कर रहे हैं:

- i. केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह (सम विश्वविद्यालय)
- ii. नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा, बिहार (सम विश्वविद्यालय)
- iii. केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान (CIHTS), सारनाथ (सम विश्वविद्यालय)
- iv. केंद्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान (CIHCS), दाहंग, अरुणाचल प्रदेश

चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले 5 वर्षों में उक्त स्वायत्त संगठनों को संवितरित धनराशि का ब्यौरा अनुबंध- I पर है।

बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय निम्नलिखित छह अनुदान प्राप्त निकायों के खरखाव के लिए वार्षिक अनुदान सहायता भी प्रदान करता है:

- i. तिब्बती ग्रन्थ एवं अभिलेखागार पुस्तकालय, धर्मशाला

- ii. तिब्बत हाउस, नई दिल्ली
- iii. बौद्ध सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र, तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश
- iv. नामग्याल तिब्बती विज्ञान संस्थान, सिक्किम
- v. अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, दिल्ली
- vi. जीआरएल मोनास्टिक स्कूल, बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश

चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले 5 वर्षों में उक्त अनुदान प्राप्तकर्ता निकायों को संवितरित धनराशि का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और परंपरा के प्रचार-प्रसार और वैज्ञानिक विकास के साथ-साथ हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा दो वित्तीय अनुदान योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं:

- I. **बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के विकास के लिए वित्तीय सहायता योजना** : इस योजना के तहत, देश में कहीं भी स्थित बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और परंपरा के प्रचार और वैज्ञानिक विकास में लगे मठों और गैर सरकारी संगठनों सहित बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।
- II. **हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता योजना** : इस योजना का उद्देश्य अनुसंधान, दस्तावेज़ीकरण और प्रसार के माध्यम से जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सहित हिमालयी क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना है। इस उद्देश्य के लिए काम करने वाली संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय, अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ 'सर्व धर्म संवाद' आयोजित करता है ताकि समुदायों के समक्ष आने वाले मुद्दों पर चर्चा की जा सके और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया जा सके। दिसंबर 2021 से, जैन और बौद्ध समुदायों सहित अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ 38 ऐसी बैठकें आयोजित की गई हैं। इनमें से पांच बैठकें विशेष रूप से जैन और बौद्ध समुदायों (दो जैन समुदाय के साथ और तीन बौद्ध समुदाय के साथ) पर केंद्रित रही हैं। बैठकों में जैन समुदाय से संबंधित मुद्दों, जैसे सम्मेद शिखरजी, गिरनार पर्वत और *विहारों* के दौरान जैन भिक्षुओं की सुरक्षा पर चर्चा की गई। इसके अलावा, बौद्ध समुदाय से संबंधित मुद्दों, जैसे बोधगया मंदिर का प्रबंधन, पाली भाषा को बढ़ावा देना और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले बौद्धों के लिए स्कूल और सामुदायिक हॉल जैसी सुविधाओं के प्रावधान पर भी चर्चा की गई। संबंधित जैन और बौद्ध सदस्यों द्वारा कर्नाटक, लेह-लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, राजस्थान आदि सहित विभिन्न स्थानों पर कुल 102 बैठकें आयोजित की गईं।

'जैन धर्म और बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने हेतु पहल' के संबंध में श्री चंद्र प्रकाश जोशी और श्री हरेन्द्र सिंह मलिक द्वारा दिनांक 18.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *333 के उत्तर से संदर्भित अनुबंध (करोड़ रुपए में)

स्वायत्त निकाय	वर्ष				
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (अब तक)
केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान (सीआईबीएस), लेह	22.56	27.03	33.27	35.45	25.76
केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान (सीआईएचटीएस), सारनाथ	37.88	61.29	35.00	40.32	22.03
नव नालन्दा महाविहार (एनएनएम), नालन्दा	11.33	22.86	26.27	38.04	17.97
केंद्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान (सीआईएचसीएस), दाहुंग	3.44	11.45	12.06	13.52	10.51

अनुबंध-II

'जैन धर्म और बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने हेतु पहल' के संबंध में श्री चंद्र प्रकाश जोशी और श्री हरेन्द्र सिंह मलिक द्वारा दिनांक 18.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *333 के उत्तर से संदर्भित अनुबंध (करोड़ रुपए में)

अनुदान प्राप्तकर्ता निकाय	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2023-24 (अब तक)
तिब्बत हाउस, नई दिल्ली	1.22	1.75	1.75	1.75	115.80
बौद्ध सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र, तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश	2.09	3.00	3.00	3.00	202.50
तिब्बती ग्रन्थ एवं अभिलेखागार पुस्तकालय, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश	1.26	1.80	1.80	2.00	1.33
जीआरएल मोनास्टिक स्कूल, बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश	1.18	1.68	1.68	1.68	1.12
अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (आईबीसी, नई दिल्ली)	4.20	21.00	57.00	36.00	4.42
नामघ्याल तिब्बती विज्ञान संस्थान, सिक्किम	3.10	2.00	3.30	3.30	2.20